(38)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1167–दो/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2011 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 96/अपील/2010–11

1– मनोज कुमार पुत्र सरजू प्रसाद उपाध्याय
2– धनश्याम पुत्र सरजू प्रसाद उपाध्याय
निवासीगण–ग्राम कुसमा, तहसील महाराजपुर
जिला–छतरपुर ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मनोज पुत्र पुरनलाल उपाध्याय
2– हरगोविन्द पुत्र पुरनलाल उपाध्याय
3– राकेश पुत्र पुरनलाल उपाध्याय
4– कुलदीप पुत्र पुरनलाल उपाध्याय
निवासीगण–ग्राम कुसमा, तहसील महाराजपुर
जिला–छतरपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री पृथ्वीराज अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक , अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव जिला–छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कुस्मा तहसील महाराजपुर में स्थित भूमि खसरा 2949, 2953, 2961, 3226, 3334/1, 3438 , 3439, 5666/3, 5693/1, 5706 किता 1 इकत्र रकबा 5.332 है0 स्थित मौजा कुस्मा में हिस्सा 1/4 एवं भूमि खसरा नम्बर 5666/4,3588 किता 2 रकबा 1.401 है0 स्थित ग्राम कुस्मा में हिस्सा

1/6 तथा भूमि खसरा नम्बर 2952, 2962, 2963, 2979, 2980, 2981, 3224, 3226, 5694, 5695, 5696, 5707 कुल कित 12 रकबा 4.180 है0 स्थित हिस्सा में 1/6 अनावेदकगण के चाचा देवीप्रसाद के नाम दर्ज है । मृतक देवीप्रसाद मृत्यु पूर्व गवाहों के समक्ष वसीयतनामा तैयार कर आवेदकगण के नाम वासीयत सम्पादित कर दिया था, जिसके आधार पर अनावेदकगण 1/2 भाग पर काबिज है और आवेदकगण 1/2 भाग पर काबिज है । आवेदकगण द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर के समक्ष एक आवेदन पेश किया गया । न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर द्वारा प्र0क्र0 49/अ–6/2005–06 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 13.09.2009 से आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण कर दिया गया । अनावेदकगण द्वारा उक्त पारित आदेश दिनांक 13.09.2009 के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अपील/2009–10 में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 24.05.2010 से प्रकरण प्रत्यावर्तित कर न्यायालय तहसीलदार महाराजपुर पुनः आदेश पारित करने का आदेश दिया जिस पर न्यायालय तहसीलदार ने निदेशानुसार गुण–दोष के आधार विधिवत निराकरण कर दिनांक 06.07.2011 में पुनः नामांतरण आदेश पारित कर दिया । अनावेदकगण द्वारा पुनः द्वितीय अपील अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष पेश किया जो प्रकरण क्रमांक 96/अपील/2010–11 में दर्ज की जाकर उनके द्वारा वसीयतनामा के आधार पर किये गये नामांतरण को निरस्त करते हुये दिनांक 15.12.2011 को पुनः नामांतरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2011 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार महाराजपुर द्वारा वसीयत प्रकरण में आवश्यक प्रमाण न पूर्ण होने के पश्चात वसीयत को प्रमाणित पाते हुये निगरानीकर्ता के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया था एवं अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक 02/2008–09 में प्रकरण पुनः प्रत्यावर्तित होने पर गुणदोषों के आधार पर निराकरण करते हुए वसीयत को प्रमाणित पाये जाने पर नामांतरण आदेश आवेदकगण के पक्ष में पारित किया गया । सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के ब्रॉड न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि एक ही न्यायालय अथवा समान अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा समान पक्षकारों तथा समान विवाधक बिन्दुओं पर उसी न्यायालय में सुनवाई नहीं की

जायेगी । किन्तु उक्त प्रकरण पहले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक 2/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2010 में उन्हीं पक्षकारों के मध्य विवाधक तथ्यों का निराकरण किया जा चुका था जिस कारण द्वितीय अपील प्रश्नाधीन आदेश को उन्हीं पक्षकारों के मध्य पारित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दूसरी बार तहसीलदार महाराजपुर को प्रत्यावर्तित किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ न्यायालय होने का दबाव तहसीलदार पर बनाया जा रहा है । संहिता की धारा 49 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई अधिकार ही नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का आदेश निरस्ती योग्य है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2011 को निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। वसीयत को सन्देह से परे गवाहों के माध्यम से प्रमाणित नहीं कराया जाना स्पष्ट है । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में इस सम्बन्ध में सभी गवाहों के बयानों की विस्तृत विवेचना की है । वसीयत के गवाहों की मृत्यु हो जाने तथा नोटरी द्वारा वसीयतकर्ता को न जानने के बयान से वसीयत विधिवत प्रमाणित नहीं मानी जा सकती । वसीयतकर्ता द्वारा कथित वसीयत वर्ष 1985 में की गई उसकी मृत्यु भी 1985 में हुई लेकिन वसीयत के आधार पर आवेदन 2005 में दिया गया यह विलम्ब भी वसीयत को सन्देहस्पद बनाता है । आवेदक द्वारा इस निगरानी में उठाए गए बिन्दु आधारहीन है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिनुकूल आदेश पारित किया गया है । फलतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर